माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष

संशोधित याचिका संख्या 26/जीटी/2013

निम्नलिखित के विषय में:

चमेरा-III पावर स्टेशन के संबंध में 30.06.2012 से 31.03.2014 तक उत्पादन प्रशुल्क (टैरिफ) के अनुमोदन हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और 86, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियामवली, 2009 के विनियम 6(2) और 9(1) के अंतर्गत याचिका।

याचिकाकर्ता :

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121 003

प्रतिवादीगण

1. अध्यक्ष,
   पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड और 13 अन्य
   दॅ माल, निकट कालीबाडी मंदिर,
   पटियाला - 147 001 (पंजाब)

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	**विवरण**	**पृष्ठ संख्या**
1.	अनुक्रमणिका पृष्ठ	
2.	शपथ-पत्र	
3.	संशोधित प्रशुल्क याचिका	
4.	**अनुबंध**	

अनुबंध-I	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शतें) विनियमावली, 2009 में यथाविनिर्धारित संशोधित लेखा-परीक्षित फार्म 1 से 16	
अनुबंध-II	वित्तीय वर्ष 2012-13 और 201-14 के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र	
अनुबंध-III	विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत आरसीई के लिए दिनांक 05.05.2014 के पत्र की प्रति	

एनएचपीसी लिमिटेड

(ए.के. पांडे)
मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक)
के माध्यम से

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 13.08.2014

10 रुपए का भारतीय गैर-न्यायिक स्टांप पेपर

हरियाणा **34एए 267683**

<u>माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष</u>

संशोधित याचिका संख्या 26/जीटी/2013

निम्नलिखित के विषय में:

चमेरा-।।। पावर स्टेशन के संबंध में 30.06.2012 से 31.03.2014 तक उत्पादन प्रशुल्क (टैरिफ) के अनुमोदन हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और 86, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियामवली, 2009 के विनियम 6(2) और 9(1) के अंतर्गत याचिका।

याचिकाकर्ता :

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121 003

प्रतिवादीगण

1. अध्यक्ष,
   पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड और 13 अन्य
   दॅ माल, निकट कालीबाडी मंदिर,
   पटियाला - 147 001 (पंजाब)

<u>संशोधित याचिका सं. 26/जीटी/2013 के समर्थन में शपथ-पत्र (चमेरा-।।। पावर स्टेशन)</u>

मैं, ए.के. पांडे, सुपुत्र श्री पी.एन. पांडे, आयु 55 वर्ष, एनएचपीसी लिमिटेड में मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) के रूप में कार्यरत, उपर्युक्त मामले में आवेदक, सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित प्रतिज्ञान और कथन करता हूं:

1. मैं एनएचपीसी लिमिटेड में मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) के रूप में कार्यरत हूं और उपर्युक्त मामले के तथ्यों से भली भांति परिचित हूं।

2. इस याचिका में किए गए कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और उपलब्ध दस्तावेजों/अभिलेखों और/या प्रबंधन के अनुमोदन पर आधारित हैं।

13 अगस्त, 2014 को फरीदाबाद में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया कि उपर्युक्त शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है, इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और उसमें से कोई सारवान बात छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

मेरे समक्ष शनाख्त की गई

माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष

संशोधित याचिका संख्या 26/जीटी/2013

निम्नलिखित के विषय में:

चमेरा-III पावर स्टेशन के संबंध में 30.06.2012 से 31.03.2014 तक उत्पादन प्रशुल्क (टैरिफ) के अनुमोदन हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और 86, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियामवली, 2009 के विनियम 6(2) और 9(1) के अंतर्गत याचिका!

याचिकाकर्ता :

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121 003

प्रतिवादीगण :

1. अध्यक्ष,
   पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड
   दॅ माल, निकट काली बाड़ी मंदिर
   पटियाला - 147 001 (पंजाब)
2. अध्यक्ष
   हरियाणा विद्युत जनोपयोगी सेवाएं (यूएचबीवीएनएल और डीएचबीवीएनएल), शक्ति भवन, सेक्टर–6, पंचकूला (हरियाणा)
3. अध्यक्ष
   उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड
   शक्ति भवन, 14, अशोक मार्ग,
   लखनऊ-226001 (उत्तर प्रदेश)
4. मुख्य अभियंता एवं सचिव,
   इंजीनियरी विभाग, पहली मंजिल,
   यूटी सचिवालय, सेक्टर-9डी,
   चंडीगढ़-16009
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   उत्तरी दिल्ली विद्युत लिमिटेड,
   उप-स्टेशन बिल्डिंग,
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड,
   शक्तिकिरण बिल्डिंग,

हडसन लेन, किंग्सवे कैम्प,
दिल्ली-110009

कडकडडूमा,
दिल्ली

7. अध्यक्ष
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (जेपीवीवीएनएल), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.(जेडीवीवीएनएल) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. (एवीवीएनएल), विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर,
जयपुर-302 005 (राजस्थान)

8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड,
बीएसईएस भवन,
नेहरु प्लेस,
नई दिल्ली–110019

9. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड,
ऊर्जा भवन, कंवली रोड,
देहरादून-248001 (उत्तराखंड)

10. प्रबंध निदेशक,
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर-302005

11. प्रबंध निदेशक,
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पुराना पावर हाउस,
हाथी भट्ठा, जयपुर रोड,
अजमेर -305 001 (राजस्थान)

12. प्रबंध निदेशक,
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नया पावर हाउस, औद्योगिक क्षेत्र,
जोधपुर - 342003 (राजस्थान)

13. प्रधान सचिव,
विद्युत विकास विभाग, नया सचिवालय, जम्मू
(जम्मू एवं कश्मीर)

14. अध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड,
विद्युत भवन, कुमार हाउस,
शिमला -171004 (हिमाचल प्रदेश)

<u>आवेदक द्वारा सादर निवेदन किया जाता है कि:</u>

1. चमेरा-।।। जल विद्युत परियोजना (231 = 3X77 मेगा वाट), 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात वाले मूल्य स्तर पर फरवरी, 2005 में **₹119.66 करोड़** के

आईडीसी और एफसी सहित **₹1405.63 करोड़** की लागत पर हिमाचल प्रदेश राज्य में निष्पादित किए जाने के लिए 01.09.2005 को एनएचपीसी के पक्ष में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी। यह परियोजना पोंडेज स्कीम के साथ नदी के रन के रूप में तैयार की गई है।

2. प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (अर्थात 01.09.2011) से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए चमेरा-।।। जल विद्युत परियोजना की प्रशुल्क याचिका सं.26/जीटी/2013, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 के विनियम 5 के अनुसार और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निर्धारण, आवेदनपत्र के प्रकाशन और संबंधित मुद्दों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया) विनियमावली, 2004 तथा इसके उत्तरवर्ती संशोधनों के अनुसार 02.09.2011 को याचिकाकर्ता द्वारा दायर कर दी गई है।

3. इस परियोजना को आईए सं. 31/2012 वाली याचिका सं. 26/जीटी/2013 और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशों के अनुपालन में प्रस्तुत की गई उत्तरवर्ती अतिरिक्त सूचना में वर्णित कारणों से 01.09.2011 को वाणिज्यिक प्रचालनाधीन घोषित नहीं किया जा सका।

4. चूंकि इस परियोजना में मूल प्रशुल्क याचिका दायर करने की तारीख से 6 महीने से अधिक का विलंब हुआ, इसलिए याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग के समक्ष 01.03.2012 को एक शपथ-पत्र दाखिल किया, जिसमें संशोधित प्रशुल्क दाखिल करने के फार्म 1 से 16 दाखिल करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया गया (**संदर्भ**: याचिका सं. 26/जीटी/2013, जिसे मूलत: डॉकेट सं. 22/जीटी/2011 दी गई थी)।

5. इसके पश्चात याचिकाकर्ता ने **2017.72 करोड़ रुपए 49.05 करोड़ रुपए** की अनुन्मोचित देयता को छोड़कर) की प्रत्याशित पूंजीगत लागत के आधार पर याचिका सं. 26/जीटी/2013 (तत्कालीन डॉकेट सं.22/जीटी/2011) के प्रशुल्क के परिकलनों में संशोधन करते हुए एक वादकालीन आवेदनपत्र सं.31/2012 दाखिल किया था और प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन तारीख को 01.07.2012 के रूप में संशोधित किया था।

6. इस परियोजना की दो इकाइयां 30.06.2012 को संस्थापित की गई थी और एक इकाई 04.07.2012 को संस्थापित की गई थी। दिनांक 04.07.2012 को इस परियोजना की तीसरी और अंतिम इकाई संस्थापित कर दिए जाने के साथ इस परियोजना को 04.07.2012 से वाणिज्यिक प्रचालनाधीन घोषित कर दिया गया है।

7. याचिका (डॉकेट) सं. 22/जीटी/2011 में दिनांक 13.08.2012 के आदेश के अंतर्गत माननीय आयोग ने, 01.07.2012 को यथास्थिति परियोजना की प्रत्याशित पूंजीगत लागत के 85 प्रतिशत के आधार पर 01.07.2012 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए अनंतिम प्रशुल्क की अनुमति दे दी है।

8. याचिका सं. 26/जीटी/2013 में अनंतिम प्रशुल्क की अनुमति देते समय माननीय आयोग ने दिनांक 13.08.2012 के आदेश के पैरा 6 में निम्नलिखित अवलोकन किया है:

"6. इस परियोजना में शामिल निश्चित समय से अधिक समय और निश्चित लागत से अधिक लागत के प्रश्न की जांच, उत्पादन केंद्र के अंतिम प्रशुल्क के निर्धारण के समय की जाएगी।"

9. याचिका सं. 26/जीटी/2013 निपटान के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के पास लंबित है और इसमें संशोधन आवश्यक है क्योंकि परियोजना को वाणिज्यिक प्रचालनाधीन घोषित कर दिया गया है और प्रशुल्क अवधि 2009-14

दिनांक 31.03.2014 को समाप्त हो गई है। 2013-14 के लेखाओं को सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है। यांचिका सं. 26/जीटी/2013, प्रत्याशित/प्राक्कलित व्यय और प्रक्षेपित वाणिज्यिक प्रचालन तारीख के आधार पर दायर की गई थी।

10. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2010 के पत्र सं. एल-1/50/2010-सीईआरसी के अंतर्गत जारी किए गए नामित स्वतंत्र एजेंसियों या संस्थानों या विशेषज्ञों द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं की पूंजीगत लागत का पुनरीक्षण करने के दिशानिर्देशों के अनुसार मैसर्स ऐक्वाग्रीन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट प्रा.लि., नई दिल्ली (मैसर्स एईएमपीएल) को चमेरा-।।। जल विद्युत परियोजना के संबंध में पूंजीगत लागत के पुनरीक्षण के लिए स्वतंत्र एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। मैसर्स एईएमपीएल ने पूंजीगत लागत के मूल्यांकन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह दिनांक 14.02.2014 के पत्र के अंतर्गत सीईआरसी को प्रस्तुत कर दी गई है। मूल्यांकन रिपोर्ट पर एनएचपीसी की विस्तृत अभ्युक्तियां/ अवलोकन दिनांक 07.04.2014 के पत्र के अंतर्गत सीईआरसी को प्रस्तुत कर दिए गए थे। यह रिपोर्ट, इस याचिका में दिनांक 15.07.2014 के सीईआरसी के पत्र के अनुपालन में 25.07.2014 को प्रतिवादियों को दे दी गई है।

11. सीईए ने अपने दिनांक 24.09.2012 के पत्र के अंतर्गत चमेरा-।।। का आरसीई इस अभ्युक्ति के साथ लौटा दिया कि "**इस परियोजना को 04 जुलाई, 2012 से वाणिज्यिक प्रचालनाधीन घोषित कर दिया गया है, इसलिए पुराने आरसीई की जांच फलदायक नहीं होगी।**" उपर्युक्त के अनुसार परिसमाप्ति लागत (जो **241.93 करोड़ रुपए** के आईडीसी और एफसी सहित **2049.44 करोड़ रुपए** निकाली गई है) के आधार पर चमेरा-।।। का संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) दिनांक 05.05.2014 के पत्र के अंतर्गत अनुमोदन हेतु विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है (अनुबंध-।।।)।

12. इनफर्म विद्युत की बिक्री से प्राप्त आय (04.07.2012 तक **₹ 30.59 करोड़)** को वाणिज्यिक प्रचालन तारीख को यथास्थिति पूंजीगत लागत में समायोजित कर दिया गया।

13. वर्तमान प्रशुल्क याचिका, लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित और चमेरा-।।। की संबंधित इकाइयों की विच्छेदन तारीख तक किए गए पूंजीगत व्यय के आधार पर 30.06.2012 से 31.03.2014 तक प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दायर की जा रही है। प्रशुल्क दाखिल करने का फार्म अर्थात मूल याचिका संख्या 26/जीटी/2013 का **अनुबंध-।**, परियोजना की वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तारीख, वाणिज्यिक प्रचालन तारीख से 31.03.2014 तक वास्तविक अतिरिक्त पूंजी के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। यह याचिका, संबंधित इकाइयों की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख के अनुसार केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 के विनियम 5 के अनुसार दायर की जा रही है।

14. वाणिज्यिक प्रचालन तारीख 04.07.2012 को यथास्थिति परियोजना की पूजीगत लागत **1992.47 करोड़ रुपए** है, जिसमें **76.05 करोड़ रुपए** की अनुन्मोचित देयताएं शामिल नहीं है (फार्म-5ख देखें)। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को यथास्थिति इन देयताओं में से 2012-13 (04.07.2012 से 31.03.2013 तक) और 2013-14 के दौरान **39.33 करोड़ रुपए** का उन्मोचन कर दिया गया है। शेष निर्माण कार्य/ देयताओं का दावा उस समय किया जाएगा, जब कभी वास्तव में खर्च किया जाएगा/ उन्मोचित किया जाएगा।

15. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 15.06.2011 के पत्र के अंतर्गत उत्तरी क्षेत्र के लाभग्राहियों को चमेरा-।।। जल विद्युत परियोजना से विद्युत आबंटित कर दी है, जो याचिका संख्या26/जीटी/2011 में आयोग को प्रस्तुत हो गई है।

16. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 और इसके संशोधनों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2012-13 (30.06.2012 से 31.03.2013 तक) और 2013-14 के लिए चमेरा-।।। पावर स्टेशन के लिए संशोधित वार्षिक निर्धारित प्रभार, संशोधित **अनुबंध-।** के **फार्म-।** में दिए गए ब्योरों के अनुसार क्रमश: **303.62 करोड़ रुपए** और **408.37 करोड़ रुपए** आते हैं।

वर्ष	**अवधि**	**वार्षिक निर्धारित लागत (लाख ₹ में)**
2012-13	30.06.2012 से 03.07.2013 (2 इकाइयां)	360.29
	04.07.2012 से 31.03.2013 (3 इकाइयां)	30,001.80
2013-14	01.04.2013 से 31.03.2014	40,837.35

17. उपर्युक्त एएफसी में ओएंडएम व्ययों, आरएंडआर व्ययों को छोड़कर, 31.03.2019 तक मूल दायरे के अंदर पूंजीगत लागत के 2% के रूप में परिकलित किए गए हैं। अनुरोध किया जाता है कि इस पर विचार किया जाए क्योंकि मूल दायरे के अंदर अधिकांश पूंजीगत व्यय के पावर स्टेशन द्वारा विच्छेदन की तारीख के बाद फैलाने का प्रस्ताव है।

18. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 और इसके उत्तरवर्ती संशोधनों के उपबंधों के अनुसार लाभग्राहियों से/को इस याचिका (संशोधित अनुबंध-1 का फार्म-1) में परिकलित एएफसी की वसूली/वापसी की अनुमति प्रदान करें।

19. उपर्युक्त प्रशुल्क, उत्पादन केंद्रों से संबद्ध और/या संचरण प्रणाली पर होने वाली संस्थापनाओं में से किसी संस्थापना के संबंध में और/या जल, विद्युत के संचरण, पर्यावरणीय संरक्षण, विद्युत/ऊर्जा की बिक्री और/या आपूर्ति सहित, अतिरिक्त खपत या अन्य प्रकार की किसी खपत सहित बिजली के उत्पादन के संबंध में

किसी सरकार (केंद्र/राज्य) और/या किसी अन्य स्थानीय निकायों/ प्राधिकरणों/ विनियामक प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए/प्रभारित किसी सांविधिक करों, उद्ग्रहणों, शुल्कों, उप-कर, प्रभारों या किसी प्रकार के अधिरोपण (अधिरोपणों) को शामिल करते हुए हैं।

20. ऊपर यथाउल्लिखित उक्त करों/ शुल्कों/ उप-कर/ उद्ग्रहणों/ प्रभारों आदि की बाबत किसी महीने में संबंधित प्राधिकरणों को एनएचपीसी द्वारा भुगतानयोग्य ऐसे करों/ शुल्कों/ उप-करों/ उद्ग्रहणों प्रभारों आदि की धनराशि उनके द्वारा भुगतानयोग्य वार्षिक क्षमता प्रभारों के अनुपात में एनएचपीसी को प्रतिवादियों द्वारा अतिरिक्त रूप से वहन की जाएगी और उनका भुगतान किया जाएगा।

21. इस परियोजना के परिकलित संशोधित एएफसी, समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (क्षेत्रीय लोड प्रेषण केंद्र के शुल्क एवं प्रभार और अन्य संबंधित मामले) विनियमावली, 2009 के अनुसार पीओएसओसीओ/ पीजीसीआईएल को भुगतानयोग्य प्रभारों को छोड़कर है।

22. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 (दिनांक 31.12.2012 की अधिसूचना के अंतर्गत तीसरे संशोधन) के अनुसार याचिकाकर्ता लाभग्राहियों/ प्रतिवादियों से निम्नलिखित प्रभार वसूल करने का हकदार है:

(क) समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (क्षेत्रीय लोड प्रेषण केंद्र के शुल्क एवं प्रभार और अन्य संबंधित मामले) विनियमावली, 2009;

(ख) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्कों का भुगतान) विनियमावली, 2012 या उसके किसी उत्तरवर्ती संशोधन या पुन: अधिनियमन के अंतर्गत भुगतान किए गए शुल्क और प्रभार।

23. विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए चमेरा-।।। जल विद्युत परियोजना के संबंध में विद्युत के आबंटन के अनुसार स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 1% अतिरिक्त नि:शुल्क विद्युत उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, आबंटन पत्र के अनुसार, परियोजना के संस्थापन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार को याचिकाकर्ता द्वारा 100 यूनिट बिजली प्रति मास उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय आयोग से अनुरोध किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को प्रशुल्क के जरिए लाभग्राहियों/ प्रतिवादियों से इसकी वसूली करने की अनुमति प्रदान करे।

24. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 25.03.2013 के पत्र के अंतर्गत 'केंद्रीय विद्युत संयंत्रों के आस-पास के 5 कि.मी. क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था' योजना वापस ले ली है। तदनुसार, हम, इस परियोजना के आस-पास के 5 किलोमीटर के अंदर गांवों के विद्युतीकरण के लिए व्यय की अनुमति देने हेतु मूल याचिका संख्या 26/जीटी/2013 में पैरा 14 पर दी गई अपनी प्रार्थना वापस लेते हैं।

25. इस परियोजना के लिए 2012-13 और 2013-14 के लिए याचिका दायर करने संबंधी शुल्क का भुगतान माननीय आयोग को कर दिया गया है, इसलिए कृपया इसे प्रतिवादियों से वसूल किए जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

26. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निर्धारण के लिए आवेदन करने, आवेदन के प्रकाशन और अन्य संबंधित मामलों की प्रक्रिया) विनियमावली, 2004 के अनुसार प्रशुल्क याचिका के लिए नोटिस प्रकाशित करने पर किया गया व्यय, प्रतिवादियों से वसूल करने की अनुमति प्रदान की जाए1

27. 2011 के दौरान मूल याचिका संख्या 26/जीटी/2013 के लिए नोटिस के प्रकाशन पर किया गया व्यय, प्रतिवादियों से वसूल करने की कृपया अनुमति प्रदान की जाए।

28. प्रशुल्क के निर्धारण के लिए अन्य सभी सुसंगत दस्तावेज जैसे ऋण एवं इक्विटी दस्तावेज, ब्याज दर, ऋण आहरण, निश्चित समय और निश्चित लागत से अधिक के लिए औचित्य आदि के समर्थन में दस्तावेज सीईआरसी को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और मूल याचिका संख्या 26/जीटी/2013 और आईए संख्या 31/2012 के साथ प्रतिवादियों को दिए गए हैं।

29. इस याचिका के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:

(i) दिनांक 19.01.2009 को अधिसूचित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 और उसके संशोधनों में यथाविनिर्धारित संशोधित लेखा-परीक्षित फार्म 1 से 16 **(अनुबंध-I)**;

(ii) वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र की प्रति **(अनुबंध-II)**;

(iii) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत आरसीई के लिए दिनांक 05.05.2014 के पत्र की प्रति **(अनुबंध-III)**।

<u>प्रार्थना</u>

इसमें ऊपर किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए माननीय आयोग से निम्नलिखित प्रार्थना की जाती है:

1. कि प्रशुल्क याचिका संख्या 26/जीटी/2013 के अनुबंध-I में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाए।
2. कि 30.06.2012 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए चमेरा-III पावर स्टेशन का प्रशुल्क (एएफसी) कृपया केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 और उसके उत्तरवर्ती संशोधनों के अनुसार निर्धारित किया जाए।
3. ओएंडएम व्ययों के परिकलन के उद्देश्य के लिए 31.03.2019 तक मूल दायरे के और पूंजीगत व्यय की अनुमति प्रदान की जाए।
4. कि वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए चमेरा-III जल विद्युत परियोजना हेतु संशोधित वार्षिक निर्धारित प्रभार, जो **अनुबंध-I** के प्रशुल्क दाखिल करने के फार्म-I में दिए गए ब्योरों के अनुसार क्रमश: **303.62 करोड़ रुपए** और **408.37 करोड़ रुपए** हैं**,** कृपया पारित किए जाएं और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 और समय-समय पर किए गए इसके संशोधनों में माननीय आयोग द्वारा पहले ही निर्धारित तरीके से प्रतिवादियों द्वारा भुगतान के लिए बिल दिए जाने की अनुमति प्रदान की जाए।
5. याचिकाकर्ता को यह अनुमति प्रदान की जाए कि वह ऊपर पैरा 19-27 में यथाउल्लिखित उद्ग्रहणों, करों, शुल्कों, उप-कर, फीस आदि के लिए प्रतिवादियों को बिल दे।

6. ऐसा अन्य और अगला/अगले आदेश पारित किया जाए/किए जाएं, जो इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे जाएं।

एनएचपीसी लिमिटेड

(ए.के. पांडे)
मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक)
के माध्यम से

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 13.08.2014